

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492002

क्रमांक 42 /एल-8-04/2010/ब-4/चार, २०११

रायपुर, दिनांक 6/1/2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन/वित्त एवं योजना/गृह/जेल/स्कूल शिक्षा/वन/लोक निर्माण/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आवास एवं पर्यावरण/महिला एवं बाल विकास/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/संस्कृति विभाग

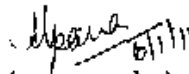
मंत्रालय, रायपुर.

विषय:-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदानों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की बैठक ।

--00--

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान के संबंध में समीक्षा हेतु वित्त विभाग द्वारा गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 12 जनवरी, 2011 को अपराह्न 12.00 बजे कक्ष क्रमांक-208 में आयोजित की गई है । बैठक के संबंध में एजेंडा संलग्न है। कृपया बैठक में आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें ।

2. यह भी निवेदन है कि वित्त विभाग के परीक्षण हेतु वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में कराये जाने वाले कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार कर दिनांक 10/01/2011 तक साफ्ट एवं हार्ड कॉपी (दो प्रतियों में) अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करें ।


(अल्पना घोष)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

रायपुर, दिनांक 6/1/2011

पृ. क्रमांक 43 /एल-8-04/2010/ब 4/चार/२०११

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
3. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय रायपुर ।


श्रीधर अधिकारी
वित्त विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त होने वाले राज्य विशिष्ट अनुदान जैसे- पुलिस अधोसंरचना (गृह), जेल अधोसंरचना (गृह), आंगनबाड़ी केन्द्र (महिला एवं बाल विकास), नया रायपुर विकास (आवास एवं पर्यावरण), प्रशासन अकादमी एवं जिला नवाचार निधि (सामान्य प्रशासन), पुरातत्व संरक्षण (संस्कृति), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सड़क एवं पुल अनुरक्षण (लोक निर्माण विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) की कार्ययोजनाओं की स्थिति पर विचार किया जाना है।

कार्ययोजना संबंधी स्थिति

गृह विभाग (पुलिस अधोसंरचना), जेल विभाग (कारागार अधोसंरचना का सुदृढीकरण)	पत्र दिनांक 16/4/10 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने एवं पत्र दिनांक 2/6/10 एवं समिति की बैठक संबंधी जारी कार्यवृत्त दिनांक 13/10/10 के द्वारा भी कार्ययोजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, जो कि अप्राप्त है।
महिला एवं बाल विकास विभाग	कार्ययोजना प्राप्त, समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग (नई राजधानी विकास)	पत्र दिनांक 16/4/10 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने एवं पत्र दि. 2/6/10 एवं स्मरण पत्र दिनांक 5/8/10 एवं समिति की बैठक संबंधी जारी कार्यवृत्त दिनांक 13/10/10 के द्वारा भी कार्ययोजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, जो कि अप्राप्त है।
सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासन अकादमी एवं जिला नवाचार निधि)	पत्र दिनांक 16/4/10 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने एवं पत्र दि. 22/7/10 एवं स्मरण पत्र दिनांक 3/9/10 तथा समिति की बैठक संबंधी जारी कार्यवृत्त दिनांक 13/10/10 के द्वारा भी कार्ययोजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, जो कि अप्राप्त है।
संस्कृति विभाग (पुरातत्व संरक्षण)	पत्र दिनांक 16/4/10 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने एवं समिति की बैठक संबंधी जारी कार्यवृत्त दिनांक 13/10/10 के द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, जो कि अप्राप्त है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	पत्र दिनांक 16/4/10 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने एवं समिति की बैठक संबंधी जारी कार्यवृत्त दिनांक 13/10/10 के द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, जो कि अप्राप्त है।
लोक निर्माण विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (सड़क/पुल अनुरक्षण)	पत्र दिनांक 16/4/10 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने एवं समिति की बैठक संबंधी जारी कार्यवृत्त दिनांक 13/10/10 के द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, जो कि अप्राप्त है।

3. वर्ष 2010-11 में प्राप्त अनुदानों के व्यय की समीक्षा।

**तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में राज्य उच्च स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक हेतु एजेंडा**

1. वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राप्त होने वाले अनुदान के विरुद्ध वन, आर्थिक एवं सांख्यिकी, यू.आई.डी. (स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) कोष लेखा एवं पेंशन (कर्मचारी डाटाबेस), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, क्षमता निर्माण (राजस्व विभाग) एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की कार्य योजना का अनुमोदन किया जाना।

कार्ययोजना संबंधी स्थिति

वन विभाग	कार्ययोजना प्राप्त हो चुका है। अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग	पत्र दिनांक 16/4/10 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने एवं पत्र दिनांक 3/9/10 के द्वारा कार्य योजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, जो कि अप्राप्त है।
यू.आई.डी. (स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)	कार्य योजना अप्राप्त है।
कोष लेखा एवं पेंशन	कार्य योजना प्राप्त, परन्तु तीस दिनांक 03/01/11 से संशोधित कार्य योजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	कार्य योजना प्राप्त परन्तु स्वच्छता कार्यक्रम को शामिल करने के संबंध में पुनरीक्षित कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 22/11/2010 के द्वारा लिखा गया है, कार्ययोजना अपेक्षित है।
राजस्व विभाग (क्षमता निर्माण)	कार्य योजना प्राप्त परन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, जो कि अपेक्षित है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	पत्र दिनांक 16/4/10 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने एवं पत्र दिनांक 22/7/10 के द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, पुनः दिनांक 3/9/10 के द्वारा स्मरण कराया गया है। समिति की बैठक संबंधी जारी कार्यवृत्त दिनांक 13/10/10 के द्वारा भी कार्ययोजना उपलब्ध कराने बाबत लिखा गया है, जो कि अप्राप्त है।